



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी-केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2018/00123

दर्ज तिथि:-23.08.2018

1. सवाराम पुत्र मगाराम

जाति रबारी निवासी मोडावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादीगण

बनाम

1. कुंपा पुत्र होथी

2. पदमा पुत्र होथी

3. माना पुत्र होथी

4. महादेवा पुत्र होथी

जाति रबारी निवासी मोडावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

5. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री डालुराम चौधरी

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा-183, 188

राजस्थान काश्त0 अधि0-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-20.03.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास पटवार हल्का खुडाला तहसील गुडामालानी में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ोस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/1 मौजा मोडावास तहसील गुडामालानी अवस्थित हैं। अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी हेतु वादीगण द्वारा दायर



नेखमबंदी आवेदन संख्या 141/2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा निर्णय दिनांक 18.07.2012 द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त नगर एवं हल्का पटवारी खुडाला ने दिनांक 18.06.2018 को मौका निरीक्षण एवं मौका जमीन नापकर व सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा तैयार किया। जिसमें वादीगण के खसरा संख्या 49/4 में पड़ौसी खसरा संख्या 49/1 के खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 18.06.2018 में दर्शायी बरंग भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु कहा गया। परंतु प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि की जबरन कब्जा किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर वादी के कब्जा काशत की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा किया गया है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 18.06.2018 में दर्शायी बरंग भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की करीब 02 बीघा खातेदारी भूमि पर से उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामिल असालतन-वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। परंतु प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई।
3. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गए:-

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक/सम्बत
1.	खाता संख्या 06 जमाबंदी वाके ग्राम मोडावास तहसील गुड़ामालानी	अंतिम चौसाला आधार सम्बत 2071-74 जमाबंदी
2.	राजस्व नक्शा खसरा संख्या 49/4	मौजा मोडावास
3.	खाता संख्या 06 जमाबंदी वाके ग्राम मोडावास तहसील गुड़ामालानी	अंतिम चौसाला आधार सम्बत 2074 जमाबंदी
4.	परिशिष्ट-ए	

05	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 141/11 में नेखमबंदी आदेश	आदेश दिनांक 18.07.2012
06	तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पालना रिपोर्ट	दिनांक 14.11.2017
07	पालना रिपोर्ट के संलग्न नक्शा	दिनांक 14.11.2017
08	प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र	दिनांक 18.06.2012
09	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा आवेदन संख्या 141/11 में नेखमबंदी हेतु आदेश	दिनांक 18.07.2012
10	तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित नेखमबंदी पालना रिपोर्ट	दिनांक 02.07.2018
11	भू-अभिलेख निरीक्षक, नगर द्वारा प्रकरण संख्या 141/11 में प्रेषित पालना रिपोर्ट	दिनांक 18.06.2018
12	प्रकरण संख्या 141/11 की पालना की मौका फर्द	दिनांक 18.06.2018
13	प्रकरण संख्या 179/99 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु आदेश	दिनांक 05.08.2004
14	प्रकरण संख्या 179/99 में डिक्री	दिनांक 05.08.2004

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गए:-

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी.डब्ल्यू-1	सवाराम पुत्र मगाराम जाति रबारी	मोडावास तहसील गुड़ामालानी

5. प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 18.06.2018 में दर्शायी बरंग भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष

प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण की प्रथम इशतद्दुआ वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम उक्त इशतद्दुआ के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

**183. Ejection of certain trespasser—**

*(1) Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejection, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.*

*(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
7. प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या-01 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास पटवार हल्का खुडाला तहसील गुडामालानी में अवस्थित हैं। प्रदर्श संख्या-02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ोस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/1 मौजा मोडावास अवस्थित हैं। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा निर्णित राजस्व वाद संख्या 141/11 की पालना में वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाई। उक्त नेखमबंदी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ।
8. प्रकरण में वादीगण अनुसार उक्त नेखमबंदी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ। वादीगण द्वारा वादीगण की

खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

9. प्रकरण में साक्ष्य गवाह के बयानों का अवलोकन किया गया। पी. डब्ल्यू-1 आलम पुत्र चिमनाराम जाति पुरोहित निवासी आलपुरा ने शपथपूर्वक कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास पटवार हल्का खुडाला तहसील गुड़ामालानी के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर रखा है। साथ ही कथन किया कि वादीगण की आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास पटवार हल्का खुडाला तहसील गुड़ामालानी की पक्की नेखमबंदी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के निर्णय अनुसार हुई। उक्त नेखमबंदी के बाद भी वादीगण की आराजी के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर रखा है।
10. प्रकरण में प्रदर्श संख्या-01 ता प्रदर्श संख्या-04 के अवलोकन से अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास पटवार हल्का खुडाला तहसील गुड़ामालानी तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/1 मौजा मोडावास आपस में सेड़े-सेढ़ अवस्थित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास पटवार हल्का खुडाला तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास पटवार हल्का खुडाला तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में राजस्व कार्मिकों द्वारा नेखमबंदी की जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी की सीमाओं का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त नेखमबंदी दिनांक 18.06.2018 के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को नेखमबंदी दिनांक 18.06.2018 स्वीकार है। तहसीलदार गुड़ामालानी के नेखमबंदी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2018 तथा नेखमबंदी मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की आराजी की नेखमबंदी की गई। उक्त नेखमबंदी की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.06.2018 में खसरा संख्या 49/4 पर खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/1 के पड़ौसी खातेदारी प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया जाना स्पष्ट हुआ है। उक्त कब्जे को उक्त नेखमबंदी की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.06.2018 में बरंग से प्रदर्शित किया हुआ है। उक्त प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी से इत्तर या अधिक रकबे पर वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर काबिज काश्त हैं।
11. प्रकरण में वादी का दावा प्रदर्श संख्या-06 ता 12 नेखमबंदी रिपोर्ट दिनांक 18.06.2018 के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे से साबित होता है। साथ ही वादी को प्रदर्श संख्या-06 ता 12 नेखमबंदी रिपोर्ट दिनांक 18.06.2018 के समय से अतिक्रमण की जानकारी होने से प्रकरण म्याद के अंतर्गत होना स्पष्ट है। साथ ही प्रदर्श संख्या 13 ता 14 के अवलोकन

से स्पष्ट है कि वादीगण की मुतनाजा आराजी पर न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा करार दिया जाता है।

12. साथ ही प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादीगण को उक्त कब्जेशुदा आराजी का खातेदार मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

*(44) "Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;*

7. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में प्रथम इश्तहुआ को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार प्रथम इश्तहुआ वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।
8. प्रकरण में द्वितीय इश्तहुआ वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। द्वितीय इश्तहुआ को सिद्ध करने का भार वादीगण के जिम्मे है। प्रकरण में इस तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

**188. Injunction against wrongful ejection—**

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

13. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

14. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

15. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास

	अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुडामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न

		<p>नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</p> <p>3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</p> <p>4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते हैं। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।</p>
--	--	---

16. इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रकरण में द्वितीय अनुतोष को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार द्वितीय अनुतोष वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। अतः

**आदेश है कि**


वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुड़ामालानी पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 18.06.2018 में बरंग से अंकित रकबे पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत

सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी-केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2018/00123

दर्ज तिथि:-23.08.2018

1. सवाराम पुत्र मगाराम

जाति रबारी निवासी मोडावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादीगण

बनाम

1. कुंपा पुत्र होथी

2. पदमा पुत्र होथी

3. माना पुत्र होथी

4. महादेवा पुत्र होथी

जाति रबारी निवासी मोडावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

5. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री डालुराम चौधरी

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

सत्यमेव जयते

वादपत्र अन्तर्गत धारा-183, 188

राजस्थान काश्त0 अधि0-1955

—:पर्चा डिक्री:-

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49/4/24.04 बीघा मौजा मोडावास तहसील गुडामालानी पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 18.06.2018 में बरंग से अंकित रकबे पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर

कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काशत में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर

